कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 71/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

हत्या के प्रयास के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.02.2026 को वादी विजय यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी ग्राम खानपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण—

1. मुकेश पुत्र श्यामनारायण निवासी लेदौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
2. उत्तम उर्फ सिट्टू पुत्र स्व० गनेश निवासी ग्राम खानपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

द्वारा उसकी बहन से बातचीत करने के विवाद को लेकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से हमला किया गया। उक्त हमले में उसके भाई सत्यम के सिर पर गंभीर चोट आई, जिनका उपचार एवं ऑपरेशन लाइफ लाइन हॉस्पिटल में कराया गया। इसके अतिरिक्त फौजदार यादव, परमशीला एवं पल्लवी को भी चोटें आईं।
उक्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 46/26 धारा 109, 115(2), 352 बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 20.02.2026 को व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह हे0का0 राकेश उपाध्याय एवं का0 सागर सिंह क्षेत्र भ्रमण/तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खानपुर की घटना में नामित अभियुक्तगण थाना मोड़ के पास मुख्य मार्ग पर कहीं जाने की फिराक में साधन का इंतजार कर रहे हैं।
सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम तत्काल थाना मोड़ के पास पहुंची, जहां दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े मिले। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम क्रमशः

1. मुकेश पुत्र श्यामनारायण
2. उत्तम उर्फ सिट्टू पुत्र स्व० गनेश

बताया। नाम-पता की पुष्टि होने पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय लगभग 09:45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद लोहे की कुल्हाड़ी बरामद की गई। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. मुकेश पुत्र श्यामनारायण निवासी लेदौरा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
2. उत्तम उर्फ सिट्टू पुत्र स्व० गनेश निवासी ग्राम खानपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

बरामदगी

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी

पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0सं0 46/26 धारा 109, 115(2), 352 बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राकेश उपाध्याय, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
3. का0 सागर सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
चोरी के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना का सफल अनावरण

➡ पूर्व की घटना/इतिहास

दिनांक 25.01.2026 को वादी श्री विजेन्द्र पुत्र स्व० बरसातू निवासी ग्राम ईसरपार खास, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 24.01.2026 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा उनकी दुकान (गुमटी) यादवपुर पुलिया बहद ग्राम ईसरपार खास से एक बंडल, जिसमें कैस पान मसाला (05 पैकेट), 01 डिब्बा सोनपापड़ी, 01 पैकेट (12 पीस 20-20 रुपये बिस्किट), 01 डिब्बा बर्फी, 02 पैकेट सुर्ती तथा 01 पैकेट कमला पसंद पान मसाला चोरी कर लिया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 13/2026 धारा 305 भा0न्या0सं0 (अब धारा 305, 331(4), 317(2) BNS) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 मोहन लाल यादव द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण में पूर्व में अभियुक्तगण—

1. अंकित यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी ग्राम सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. अमित यादव उर्फ लालू यादव उर्फ गोविन्दा पुत्र अवधराज यादव निवासी ग्राम सेमरा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा जा चुका है। शेष नामित अभियुक्त अमन यादव उर्फ अवन यादव फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

➡ गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण

दिनांक 20.02.2026 को उ0नि0 मोहन लाल यादव परीक्षा शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान श्री नरसिंह इंटर कॉलेज बैरमपुर में मौजूद थे। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त अमन यादव उर्फ अवन यादव जमीन पलिया चत्तुरपुर जाने वाले मार्ग, तिराहा सोफीपुर रोड पर खड़ा है एवं कहीं भागने की फिराक में है।

सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उ0नि0 मोहन लाल यादव ने हे0का0 अमित कुमार व का0 राजू यादव को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की। मौके पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उसने अपना नाम अमन यादव उर्फ अवन यादव पुत्र रवीन्द्र यादव निवासी ग्राम जमीन पलिया चत्तुरपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ बताया। उक्त अभियुक्त मुकदमा मु0अ0सं0 13/2026 व 09/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना तहबरपुर का नामित अभियुक्त है।

अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय लगभग 11:40 बजे विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के मौसेरे भाई प्रदीप यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी ग्राम गद्दोपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दूरभाष के माध्यम से दी गई।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त

- अमन यादव उर्फ अवन यादव पुत्र रवीन्द्र यादव उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम जमीन पलिया चत्तुरपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

➡ पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 09/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना तहबरपुर
2. मु0अ0सं0 13/2026 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना तहबरपुर

➡ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 मोहन लाल यादव, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 अमित कुमार, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 राजू यादव, थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कार्रवाई – दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पूर्व का विवरण

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 14.02.2026 को पीड़िता द्वारा थाना अतरौलिया पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त सादाब अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी बसही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर लगभग 06 वर्ष तक शारीरिक संबंध स्थापित किया गया, एक बार दवा खिलाकर गर्भपात कराया गया तथा बाद में शादी से इंकार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 0058/26 धारा 69/89/351(3) बीएनएस तथा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट बनाम सादाब अहमद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर द्वारा संपादित की जा रही है।

➡ गिरफ्तारी का विवरण

उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में दिनांक 20.02.2026 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय पुलिस टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त भैदोरा बाजार में मौजूद है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सादाब अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी बसही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को भैदोरा बाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय लगभग 11:10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0सं0 0058/26 धारा 69/89/351(3) बीएनएस, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त

- सादाब अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी बसही थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 30 वर्ष।

➡ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 सन्त कुमार, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 मुकेश गुप्ता, थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़
मारपीट/हत्या के प्रयास के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पूर्व का विवरण

दिनांक 23.11.2025 को वादिनी श्रीमती रीना पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 22.11.2025 को सायं लगभग 06:00 बजे उनके पति बाबूलाल पुत्र हरीराम शादी के निमंत्रण से वापस घर आ रहे थे। जैसे ही वह मेन पीच रोड पर कुलदीप, शुभम व संदीप पुत्रगण जियालाल तथा रामनयन पुत्र खरभान निवासीगण ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज के घर के सामने पहुंचे, उक्त व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक कहासुनी कर गाली-गलौज की गई।

गाली देने से मना करने पर सभी अभियुक्तों ने लाठी-डंडे एवं लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से सिर पर प्रहार किया, जिससे बाबूलाल को गंभीर चोटें आईं।

उक्त तहरीर के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 313/2025 धारा 115(2), 352, 109, 351(3) बीएनएस बनाम

1. कुलदीप

2. शुभम
3. संदीप पुत्रगण जियालाल
4. रामनयन पुत्र खरभान

निवासीगण ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में अभियुक्त कुलदीप फरार चल रहा था।

➡ गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 20.02.2026 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह का0 कृष्ण कुमार पटेल थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र भ्रमण/तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त कुलदीप पुत्र जियालाल निवासी ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ पुष्पनगर बाजार चौराहे के पास मौजूद है और कहीं जाने की फिराक में है।

सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस टीम तत्काल पुष्पनगर बाजार चौराहे पर पहुंची। मौके पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम कुलदीप पुत्र जियालाल निवासी ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 27 वर्ष बताया।

अभियुक्त की तलाशी ली गई, जिसमें पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। अभियुक्त को मुकदमा मु0अ0सं0 313/2025 धारा 115(2), 352, 109, 351(3) बीएनएस का बोध कराते हुए समय लगभग 07:25 बजे विधिवत पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त

- कुलदीप पुत्र जियालाल निवासी ग्राम कुशलगांव, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

➡ पंजीकृत अभियोग

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	313/2025	115(2), 352, 109, 351(3) बीएनएस	दीदारगंज	आजमगढ़

➡ बरामदगी

- घटना में प्रयुक्त डंडा

➡ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. का0 कृष्ण कुमार पटेल, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट
थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
जान से मारने की नियत से हमला करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पूर्व का विवरण

वादी श्री नगीना यादव पुत्र स्व० बसगीत यादव निवासी ग्राम तितिरा (कुडियारी), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 20.02.2026 को थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 19.02.2026 को विपक्षीगण—

1. रामदुलार पुत्र जीता यादव
2. सत्यदेव पुत्र जीता यादव
3. राजदेव पुत्र जीता यादव
4. उमेश पुत्र राजदेव
5. पुष्पा पत्नी रामदुलार

निवासीगण ग्राम तितिरा (कुडियारी), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा गेहूं के खेत में पानी बहाने के विवाद को लेकर गाली-गलौज की गई तथा गोलबंद होकर लाठी एवं धारदार हथियार लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिया एवं हमला किया। आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की गई, जिससे वादी के पुत्र प्रदीप बेहोश हो गया तथा अन्य परिजनों को भी चोटें आईं। साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 32/2026 धारा 3(5), 109, 110, 115(2), 352, 131, 333, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 शिवम द्विवेदी द्वारा संपादित की जा रही है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

➡ गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 20.02.2026 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामदुलार यादव पुत्र जीता यादव निवासी ग्राम तितिरा (कुडियारी), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 45 वर्ष को उचहुवा बाजार के तितिरा मोड़ से समय लगभग 10:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ अभियुक्त का नाम, पता व पूछताछ विवरण

रामदुलार यादव पुत्र जीता यादव निवासी ग्राम तितिरा (कुडियारी), थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 45 वर्ष

➡ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 32/2026 धारा 3(5), 109, 110, 115(2), 352, 131, 333, 351(3) बीएनएस थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

➡ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 शिवम द्विवेदी, थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. का0 विपिन यादव, थाना तरवां जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 02 वांछित अभियुक्त आलाजुर्म (बांस की लाठी) सहित गिरफ्तार

➡ पूर्व की घटना

दिनांक 19.02.2026 को वादिनी श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी उरेम चन्द्र यादव निवासी ग्राम सलारपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 19.02.2026 को समय लगभग 10:00 बजे उनका पुत्र राहुल खेत पर गया था। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही धर्मेन्द्र यादव व विजय प्रताप यादव पुत्रगण रामनाथ यादव द्वारा जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडे से सिर एवं शरीर पर प्रहार किया गया तथा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 57/2026 धारा 109(1), 352, 351(3) BNS बनाम धर्मेन्द्र यादव आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 सतीश कुमार द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान धारा 115(2) BNS की वृद्धि की गई।

➡ गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 20.02.2026 को उ0नि0 सतीश कुमार मय हमराह क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मामूर थे। मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम सलारपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष को सलारपुर से चिवटही मार्ग से समय लगभग 16:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाजुर्म बांस की लाठी बरामद की गई।

तत्पश्चात मुखबिर की सूचना पर सलारपुर चौराहे पर विजयी की गुमटी के पास से अभियुक्त विजय प्रताप यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम सलारपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष को समय लगभग 22:55 बजे गिरफ्तार किया गया।

दोनों अभियुक्तों को मु0अ0सं0 57/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) BNS का बोध कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त

1. धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम सलारपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष
2. विजय प्रताप यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम सलारपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष

➡ बरामदगी

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस की लाठी

➡ पंजीकृत अभियोग

- मु0अ0सं0 57/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) BNS थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡ आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 57/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) BNS थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡ गिरफ्तारी करने वाली टीम

- उ0नि0 सतीश कुमार मय हमराह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

साइबर हेल्पलाइन 1930 की तत्परता से 27,000 रुपये वापस कराए गए

➡ घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10.02.2026 को मो0 अबु हमजा पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी सतुवहिया, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के बच्चे द्वारा मोबाइल पर गेम खेलते समय अनजाने में ₹27,000/- किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो गए।
आवेदक को साइबर ठगी की आशंका होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई (Ack No. 33102260031205)।
शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया गया। आवश्यक कार्यवाही के उपरांत पूर्ण ₹27,000/- की धनराशि आवेदक के खाते में सकुशल वापस करा दी गई।

➡ पुलिस टीम

- साइबर टीम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस की अपील:
किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर सूचना दें या नजदीकी थाना/साइबर हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

प्रेस नोट
थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
साइबर फ्रॉड का ₹1,42,961/- वापस कराया गया

➡️ घटना का विवरण

दिनांक 14.01.2026 को आवेदक मदन मोहन यादव पुत्र स्व० रामजीत यादव निवासी ग्राम दाऊदपुर कुर्मी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के साथ साइबर फ्रॉड की घटना घटित हुई। फ्रॉडस्टर द्वारा ₹1,42,961/- की धनराशि अवैध रूप से खाते से आहरित कर ली गई।

घटना के संबंध में आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत कराई गई (शिकायत संख्या – 231012600xxxx0)।

➡️ की गई कार्यवाही

शिकायत प्राप्त होने पर थाना मुबारकपुर की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक/पोर्टल से समन्वय स्थापित किया गया। प्रभावी पैरवी एवं आवश्यक तकनीकी कार्यवाही के फलस्वरूप आवेदक के खाते में पूर्ण ₹1,42,961/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

➡️ बरामदगी

- ₹1,42,961/- (पूर्ण धनराशि) आवेदक के खाते में वापस कराई गई।

➡️ साइबर टीम का विवरण

1. नि0अ0 अखिलेश शुक्ल (प्रभारी निरीक्षक अपराध)
2. उ0नि0 आशुतोष मौर्य
3. का0 रोहित उपाध्याय
4. म0आ0 प्रियंका तिवारी

जनपद पुलिस की अपील:

किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा NCRP पोर्टल पर रिपोर्ट करें, ताकि समय रहते धनराशि को होल्ड/वापस कराया जा सके।

प्रेस नोट
थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता सकुशल बरामद

➡️ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 22.01.2026 को थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत एक नाबालिग बालिका (उम्र लगभग 15 वर्ष) घर से बैंक जाने के लिए निकली थी, किन्तु वापस नहीं लौटी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के उपरांत दिनांक 25.01.2026 को थाना तरवां पर मु0अ0सं0-14/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उ0नि0 रमेश सिंह द्वारा की जा रही थी।

➡️ गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा के दृष्टिगत सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 19.02.2026 को उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह क्षेत्र में तलाश वांछित अभियुक्त/अपहृता के संबंध में रासेपुर–चिरैयाकोट सीमा पर मौजूद थे।

मुखबिर खास की सूचना पर अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त **प्रमोद यादव पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम नासिरगंज काला थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती उम्र करीब 19 वर्ष** को समय करीब 14:45 बजे रासेपुर से गिरफ्तार किया गया।

पीड़िता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 87/65(1) बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-14/2026 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व ¾(2) पॉक्सो एक्ट, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

➡ पूछताछ का संक्षिप्त विवरण

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसका परिचय ऑनलाइन गेम के माध्यम से हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दिनांक 22.01.2026 को वह पीड़िता को अपने साथ ले गया था। प्रकरण में विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

➡ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 रमेश सिंह, थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. का0 विपिन यादव, थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3. म0का0 पूजा सिंह, थाना तरवां जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस की अपील (मिशन शक्ति 5.0):

महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, बहला-फुसलाकर ले जाने या साइबर माध्यम से उत्पीड़न की सूचना तत्काल पुलिस/1090/112 पर दें।

प्रेस नोट

थाना– कोतवाली, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 17 वर्ष) को दिनांक 17.02.2026 को एक युवक बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 60/26 धारा 87/137(2) बीएनएस दिनांक 19.02.2026 को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं बालिकाओं की संरक्षण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में उ0नि0 सूर्यपाल मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **मो. सलमान पुत्र परवेज अहमद निवासी कोट मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष** को दिनांक 20.02.2026 को समय 11:05 बजे भवरनाथ चौराहा से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया।

अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- मो. सलमान पुत्र परवेज अहमद निवासी – कोट मोहल्ला, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 60/26 धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- उ0नि0 सूर्यपाल
- कां0 अखिलेश कुमार यादव
- कां0 आनन्द कुमार

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस की अपील (मिशन शक्ति 5.0):

महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की उत्पीड़न/बहला-फुसलाकर ले जाने/ऑनलाइन शोषण की सूचना तत्काल 1090/112 अथवा नजदीकी थाने पर दें।